न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 696 / 2025

अनवान : –

1. रोहताष पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र पतराम उर्फ पतु जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. सावित्री पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

5. बलविन्द्र पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. सरोज पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 18/11/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 132 / 126 के प० नं0 374 / 423 (51) के किला नं. 22 / 2 की 0.2220 है० भूमि व प० नं0 374 / 424 (68) के किला नं. 2 / 1 की 0.2270 है0, 2 / 2 की 0.0260 है० गै० मु० खाला, 9 की 0.2530 है० कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.7080 है० भूमि में से 151 / 1416 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 11 एनटीआर–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 127 / 115 के प० नं० 379 / 418 (10) के किला नं. 3 / 2 की 0. 2280 है०, 4 की 0.2530 है०, 7 की 0.2530 है०, 8 / 2 की 0.2270 है0, 13 / 1 की 0.0250 है0, 14 की 0.2530 है० कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.2390 है० भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादी संख्या 1 को उपरोक्त भूमि विरास्तन प्राप्त हुई थी जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने रोही मौजा 11 एनटीआर बी की भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम करवा दी तथा रोही मौजा 13 एनटीआर की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व में 1 बीघा भूमि बेचान कर चुका है एवं अब दिनांक 01.07.2025 को 2.10 बीघा भूमि को बेचान का दी है तथा अब शेष बची भूमि को भी प्रतिवादी संख्या 1 बेचान करने की फिराक में है यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी योजना में कामयाब हो जाता है तो वादी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी बाद में किसी भी सुरत में भरपाई नहीं हो सकेगी इसलिए वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 जो जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि को रहन बैय ... ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। यही विनाय दावा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने ... भूमि को पूर्व में बेचान कर चुका है तथा वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का अब कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के ब० हि० दर्ज करवाने का अधिकारी है। रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2073–2076 के खाता संख्या 132 / 126 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.7080 है० भूमि में से 151 / 1416 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:36:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 को ब० हि० ब० का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा रोही मौजा 11 एनटीआर–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 127/115 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.2390 है० भूमि में प्रतिवादीया संख्या 2 के साथ वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 को ब० हि० ब० का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण उपस्थित नही अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम थी प्रतिवादी स0 1 द्वारा बिना नाजायज जरूरत के पैतृक भूमि में से अपने हक हिस्सा से ज्यादा भूमि का बेचान किया जा चुका है प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व तरतीबी का प्रतिवादी स0 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हक हिस्सा से ज्यादा भूमि का बेचान किया जा चुका है एवं प्रतिवादी स0 2 के नाम भी प्रतिवादी स0 1 द्वारा प्रैतृक भूमि दर्ज करवयायी गयी है अब प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में से प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2073–2076 के खाता संख्या 132/126 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.7080 है० भूमि में से 151/1416 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के तथा रोही मौजा 11 एनटीआर–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 127/115 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.2390 है० भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अलावा कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि प्रतिवादी स0 1 द्वारा अपने हक हिस्सा से ज्यादा भूमि का बेचान किया जा चुका है एवं प्रतिवादी स0 1 द्वारा उक्त भूमि अपनी पत्नी यानि की प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज करवा दिया गया है जबकि उक्त भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। पत्रावली मे प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक प्रतिवादी स0 1 द्वारा भूमि का बेचान किया जाना साबित है प्रतिवादी संख्या 1 केवल अपने हक हिस्सा की भूमि के बेचान हेतु स्वतंत्र है जबकि उक्त भूमि पैतृक है इसलिए प्रतिवादी स0 1 को समस्त हक हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:36:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

बैय/स्थानान्तरण का अधिकार नही है वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2073–2076 के खाता संख्या 132/126 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.7080 है० भूमि में से 151/1416 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 11 एनटीआर–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 127/115 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.2390 है० भूमि में प्रतिवादीया संख्या 2 के साथ वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/11/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:36:47 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

अनवान : –

1. रोहताष पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र पतराम उर्फ पतु जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. सावित्री पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

5. बलविन्द्र पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. सरोज पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 696 सन 2022 निर्णय दिनांक 18/11/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2073–2076 के खाता संख्या 132/126 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.7080 है० भूमि में से 151/1416 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 11 एनटीआर–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 127/115 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.2390 है० भूमि में प्रतिवादीया संख्या 2 के साथ वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:36:47 IST
Reason: SelfAttested